न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर

निगरानी 2377-PBR-15

(म. प्र.)

पुन. याचिका क्र.

पेशी ता.

1) राजमोहम्मद पिता शाह मोहम्मद आयु करीब 45 वर्ष धंधा काश्तकारी निवासी ग्राम बिरोदा तह. व [redacted] व जिला बुरहानपुर म. प्र. पुलिस थाना लालबाग, बुरहानपुर.

.. याचिकाकर्ता ..

श्री विनोद ... उन्दौर ... 23/7/15

विरुद्ध

1) अर्जुन पिता देवचंद महाजन आयु करीब 53 वर्ष निवासी ग्राम बिरोदा तहसील व जिला बुरहानपुर म. प्र. पुलिस थाना क्षेत्र लालबाग, बुरहानपुर.

.. प्रति-याचिकाकर्ता ..

याचिकाकर्ता अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं. 1959

याचिकाकर्ता निवेदन करता है :-

ऐसा कि अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, बुरहानपुर पीठासीन अधिकारी श्री जी. एस. गेहरवार साहब व्दारा रा. प्र. क्र. 01/ए-70/वर्ष 12-13 कब्जा विवाद धारा 250 म. प्र. भू. रा. सं. प्रकरण अर्जुन देवचंद विरुद्ध राजमोहम्मद के प्रकरण मे दिनांक 3. 7. 15 को पारित आदेश जो कि आदेशिका मे पारित किया गया है उससे व्यथीत व दुखी होकर यह याचिका निम्नलिखित तथ्यो व आधारो पर प्रस्तुत है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 2377–अध्यक्ष / 15 जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–8–2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 3–7–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा अपनी आदेशिका में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि राजस्व मण्डल में प्रकरण प्रचलित है और उसमें पूर्व में जो स्थगन दिया गया था वह समाप्त हो चुका है क्योंकि उभयपक्ष द्वारा राजस्व मण्डल का आदेश पेश नहीं किया गया है । अतः आगामी पेशी पर पेश करें अन्यथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी । तहसीलदार के उक्त आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	19.8.15